5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शंकर राव ब्राहम्णे, उप-सचिव.

खेल एवं युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2007

क्रमांक एफ 10-3/2003/9.—खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा समसंख्यक क्रमांक, दिनांक 19 सितम्बर 2003 को जारी खिलाड़ियों प्रशिक्षकों/निर्णायकों को पुरस्कार नियम 2004 में समसंख्यक क्रमांक, दिनांक 18 जुलाई 2006 से संशोधन एवं परिवर्धन किया गया है. उक्त नियम में समसंख्यक क्रमांक से संशोधन एवं परिवर्धन कर राज्य शासन एतद्द्वारा नियम बनाता है.

1. **संक्षिप्त नाम—**
ये नियम खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों/निर्णायकों को पुरस्कार नियम 2004 कहलाएंगे. जिसके अंतर्गत निम्नांकित पुरस्कार दिए जाएंगे. ये नियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शासन द्वारा प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे.

1.1 शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार

1.2 शहीद कौशल यादव पुरस्कार

1.3 वीर हनुमान सिंह पुरस्कार

1.4 खेल विभूति सम्मान

2. **परिभाषाएं—**
इस नियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.

2.1 राज्य से तात्पर्य, छत्तीसगढ़ राज्य से है.

2.2 शासन से तात्पर्य, छत्तीसगढ़ शासन से है.

2.3 विभाग से तात्पर्य, खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय से है.

2.4 संचालनालय से तात्पर्य, संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण से है.

2.5 अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ से तात्पर्य, एशियाई या विश्व स्तर से खेल महासंघ से है जो अपने कार्य क्षेत्र में संबंधित खेल की प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु सक्षम संस्था द्वारा अधिकृत किया गया है तथा राष्ट्रीय खेल संघ उसकी संलग्नता प्राप्त किया हो.

2.6 राष्ट्रीय खेल संघ से तात्पर्य, राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित खेल का आयोजन करने हेतु भारतीय ओलम्पिक संघ या युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से हैं. यदि भारतीय ओलम्पिक संघ भारत सरकार द्वारा अलग-अलग संघों को मान्यता प्रदान की गई हों तो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से है

2.7 राज्य खेल संघ से तात्पर्य, राष्ट्रीय खेल संघ की राज्य इकाई से है.

2.8 अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता से तात्पर्य, ओलम्पिक, एशियाड, विश्व चैम्पियनशिप, विश्वकप, एशियन चैम्पियनशिप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच (टेस्ट, एक दिवसीय) एवं ऐसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जिसमें भारतीय दल के भाग लेने हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमति/वित्तीय सहायता प्रदान की गई है.

2.9 राष्ट्रीय चैम्पियनशिप से तात्पर्य, राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित उस प्रतियोगिता से है जिसका विजेता उस वर्ष के लिए अधिकृत तौर पर राष्ट्रीय विजेता कहलाता है.

2.10 राज्य चैम्पियनशिप से तात्पर्य, राज्य खेल संघ द्वारा राज्य स्तर पर आयोजित उस प्रतियोगिता से है जिसका विजेता उस वर्ष के लिए अधिकृत तौर पर राज्य विजेता कहलाता है.

2.11 पुरस्कार वर्ष से तात्पर्य, उस वर्ष से है जिस वर्ष के लिए पुरस्कार की अनुशंसा की गई है

2.12 उपलब्धि वर्ष से तात्पर्य, संबंधित की उपलब्धियां प्राप्त करने के उन वर्षों से है जो किसी पुरस्कार विशेष के लिए निर्णय हेतु नियमानुसार विचार के लिए जाएंगे.

2.13 सीनियर वर्ग की प्रतियोगिता से तात्पर्य, उस प्रतियोगिता से है जिसमें भाग लेने हेतु आयु संबंधी किसी प्रकार की शर्तें न हो

2.14 जूनियर वर्ग की प्रतियोगिता से तात्पर्य, राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा अपने खेल के लिए जूनियर वर्ग (कनिष्ठ) हेतु घोषित आयु सीमा के खिलाड़ियों के लिए आयोजित प्रतियोगिता से है.

2.15 प्रशिक्षक से तात्पर्य, ऐसे व्यक्ति से है जो किसी खेल के नियमित अभ्यास केन्द्र में नियमित रूप से खिलाड़ियों को संबंधित खेल का प्रशिक्षण प्रदान करता है. इसके लिए उसके पास राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान से, पत्रोपाधि होना या प्रशिक्षक पदनाम से किसी संस्थान में सेवारत होना आवश्यक नहीं होगा.

2.16 निर्णायक से तात्पर्य, किसी खेल के राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महासंघ से अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक का प्रमाण-पत्र प्राप्त व्यक्ति से है

2.17 पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश से तात्पर्य, राज्य खेल संघ के दृष्टिकोण से अविभाजित मध्यप्रदेश से है

3. **पुरस्कार से संबंधित खेल—**

यह पुरस्कार इस नियम में उल्लेखित पात्रता रखने वाले ऐसे खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों/निर्णायकों को दिए जा सकेंगे जो निम्नलिखित खेल में से किसी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे.

3.1 ऐसे खेल जो ओलम्पिक में सम्मिलित किए गए हैं.

3.2 ऐसे खेल जो राष्ट्रमण्डलीय खेल में सम्मिलित किए गए हैं.

3.3 ऐसे खेल जो एशियाड में सम्मिलित किए गए हैं.

3.4 ऐसे खेल जो राष्ट्रीय खेल में सम्मिलित किए गए हैं.

3.5 उपरोक्त में सम्मिलित ऐसे खेलों को ही विचार में लिया जाएगा जिन पर प्राप्त होने वाला पदक संबंधित आयोजन की पदक तालिका में क्रम निर्धारण हेतु सम्मिलित किया जाता है.

3.6 ऐसे खेल जिन्हें अखिल भारतीय विश्वविद्यालय परिसंघ द्वारा विश्वविद्यालयीन खेलों में सम्मिलित किया गया है

3.7 ऐसे खेल जिन्हें भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले खेल पुरस्कार के लिए विचार क्षेत्र में लिया जाता है.

4.1 **शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार—**
राज्य के सीनियर वर्ग के सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ियों को जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का गौरव बढ़ाया है, उन्हें खेल के क्षेत्र में राज्य को दी गई उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित करना ताकि समाज में उन्हें और अधिक सम्मान एवं महत्व प्राप्त हो सके तथा राज्य के अन्य खिलाड़ी उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सकें.

4.2 **शहीद कौशल यादव पुरस्कार—**
राज्य के जूनियर वर्ग के सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ियों को जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का गौरव बढ़ाया है, उन्हें खेल के क्षेत्र में किए गए उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को पुनः दोहराने एवं सीनियर वर्ग में भी सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु प्रेरित करना.

4.3 **वीर हनुमान सिंह पुरस्कार—**
राज्य के खेल प्रशिक्षकों को, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ी तैयार किए हैं, या राज्य के खेल निर्णायकों को जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतिस्पर्धाओं में निर्णायक कार्य सम्पन्न कर राज्य एवं राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है, उन्हें खेल के क्षेत्र में राज्य को दी गई उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित करना ताकि समाज में उन्हें और अधिक सम्मान एवं महत्व प्राप्त हो सके तथा राज्य में खेल संस्कृति के विकास को प्रोत्साहन मिल सके.

4.4 **खेल विभूति सम्मान—**
राज्य के खिलाड़ी, प्रशिक्षक, खेल से जुड़े हुए व्यक्तियों को जिन्होंने अपने सक्रिय खेल जीवन में तथा सक्रिय खेल जीवन के पश्चात भी खेलों के विकास, खेल संगठन, खेल आयोजन, खेल साहित्य सृजन, खेल प्रशिक्षण में निरंतर सेवा प्रदान करते हुए कार्य किया है, उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित करना है, ताकि समाज में उन्हें और अधिक सम्मान एवं महत्व प्राप्त हो सके तथा राज्य में खेल संस्कृति के विकास को प्रोत्साहन मिल सके.

पुरस्कार—

5.1 **शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार—**

(अ) प्रत्येक वर्ष अधिकतम पांच पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे.

(ब) एक वर्ष में एक खेल में केवल एक पुरस्कार ही दिया जाएगा.

(स) पुरस्कार में प्रत्येक खिलाड़ी को राशि रुपए दो लाख पच्चीस हजार नगद, मानपत्र, अलंकरण फलक, ब्लेजर एवं टाई से अलंकृत किया जाएगा.

5.2 **शहीद कौशल यादव पुरस्कार—**

(अ) प्रत्येक वर्ष अधिकतम पांच पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे.

(ब) एक वर्ष में एक खेल में केवल एक पुरस्कार ही दिया जाएगा.

(स) पुरस्कार में प्रत्येक खिलाड़ी को राशि रुपए एक लाख नगद, मानपत्र, अलंकरण फलक, ब्लेजर एवं टाई से अलंकृत किया जाएगा.

टिप्पणी: शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार एवं शहीद कौशल यादव पुरस्कार व्यक्तिगत खेल विधा के मामले में व्यक्तिगत खिलाड़ी को तथा दलीय खेल के मामले में एक से अधिक खिलाड़ियों को दिया जा सकेगा. दलीय खेल के मामले में यदि पुरस्कार का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयन के आधार पर किया जा रहा हो तो वे सभी खिलाड़ी जिन्होंने एक समान रूप से एक ही समय में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया हो सम्मिलित रूप से पुरस्कार प्राप्त करेंगे. यदि पुरस्कार का निर्णय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उपलब्धि के आधार पर किया जा रहा हो तो दल के सभी खिलाड़ी यथा परिकल्पित पुरस्कार प्राप्त करेंगे. इस स्थिति में पुरस्कार का राशि खिलाड़ियों में समान रूप से इस प्रकार वितरीत की जाएगी कि उसका सम्मिलित मूल्य पुरस्कार राशि से अधिक न हो सभी खिलाड़ियों को मानपत्र, अलंकरण फलक, ब्लेजर एवं टाई से अलंकृत किया जाएगा.

5.3 **वीर हनुमान सिंह पुरस्कार—**

(अ) प्रत्येक वर्ष एक प्रशिक्षक एवं एक निर्णायक को प्रदान किया जा सकेगा.

(ब) पुरस्कारग्राही को राशि रु. एक लाख नगद, मानपत्र, अलंकरण फलक, ब्लेजर एवं टाई से अलंकृत किया जायेगा.

5.4 **खेल विभूति सम्मान—**

(अ) प्रत्येक वर्ष पात्रता रखने वाले समस्त खेल विभूतियों को प्रदान किया जाएगा.

(ब) सम्मानग्राही को राशि रुपए पैच्चीस हजार नगद, मानपत्र, अलंकरण फलक, शॉल से अलंकृत किया जाएगा.

5.5 उपरोक्त चारों प्रकार के पुरस्कारग्राहियों को उनके निवास स्थल से समारोह स्थल तक दोनों ओर का न्यूनतम द्वितीय श्रेणी का वास्तविक रेल/बस किराया तथा रुपए एक सौ प्रतिदिन के मान से दैनिक भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी.

5.6 पुरस्कारग्राहियों के लिए आवास, भोजन एवं परिवहन व्यवस्था की जाएगी.

6. **पात्रता—**

6.1 **शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार**

6.1 (अ) खिलाड़ी ने विगत पांच वर्षों में निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त की हो.

व्याख्या- विगत पांच वर्षों की गणना पुरस्कार वर्ष को सम्मिलित करते हुए की जाएगी.

1. सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेलों में कम से कम एक बार स्वर्ण पदक या रजत पदक या कांस्य पदक प्राप्त किया हो.

या

दलीय खेलों में सीनियर वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो.

व्याख्या- व्यक्तिगत खेल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेल में प्रथम या द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करना अनिवार्य होगा.

2. उसने पुरस्कार वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य का सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेल में प्रतिनिधित्व किया हो.

3. उसने पुरस्कार वर्ष के अतिरिक्त अन्य विचारणीय वर्षों में कम से कम दो बार राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो. इस प्रकार उसने कम से कम तीन वर्ष पृथक-पृथक वर्षों में उपरोक्त राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की ओर से भाग लिया हो.

(ब) राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिनकी उपरोक्त उपलब्धि पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त हुई है वे भी इस पुरस्कार के लिए पात्र होंगे यदि प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु उनका चयन संबंधित खेल के मध्यप्रदेश राज्य इकाई संघ की संलग्नता प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा में कार्यरत इकाई के माध्यम से हुआ हो.

(स) राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्हें पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश की ओर से खेलते हुए म. प्र. शासन द्वारा विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है वे खिलाड़ी इस पुरस्कार के लिए तभी पात्र होंगे जब उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से खेलते हुए उपरोक्तानुसार, पदक प्राप्त किया हो या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो साथ ही राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पुरस्कार वर्ष को सम्मिलित करते हुए तीन बार छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो.

(द) अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार प्राप्त करने हेतु अनुशंसा नहीं की जायेगी.

6.2 **शहीद कौशल यादव पुरस्कार**

(अ) खिलाड़ी ने विगत तीन वर्षों में निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त की हो.

व्याख्या- विगत तीन वर्षों की गणना पुरस्कार वर्ष को सम्मिलित करते हुए की जाएगी. दलीय खेलों के संदर्भ में दल की उपलब्धियां संबंधित खिलाड़ी की उपलब्धियां मानी जाएंगी.

1. जूनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में कम से कम एक बार स्वर्ण पदक या रजत पदक या कांस्य पदक प्राप्त किया हो.

या

दलीय खेलों में जूनियर वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो.

व्याख्या- व्यक्तिगत खेल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को जूनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में प्रथम या द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करना अनिवार्य होगा.

2. उसने पुरस्कार वर्ष में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (जूनियर या सीनियर वर्ग) या राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो.

(ब) राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिनकी उपरोक्त उपलब्धि पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त हुई है, वे भी इस पुरस्कार के लिए पात्र होंगे यदि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु उनका चयन संबंधित खेल के मध्यप्रदेश राज्य संघ की संलग्नता प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा में कार्यरत इकाई के माध्यम से हुआ हो.

(स) राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्हें पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश की ओर से खेलते हुए म. प्र. शासन द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है वे खिलाड़ी इस पुरस्कार के लिए तभी पात्र होंगे जब उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से खेलते हुए उपरोक्तानुसार पात्रता अर्जित की हो.

(द) अर्जुन पुरस्कार एवं शहीद पाण्डे पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को शहीद कौशल यादव पुरस्कार प्राप्त करने हेतु अनुशंसा नहीं की जा सकेगी.

6.3 **वीर हनुमान सिंह पुरस्कार**

(अ) प्रशिक्षक को पुरस्कार के लिए चयनित करने हेतु निम्नांकित नियम होंगे-

1. प्रशिक्षक द्वारा कम से कम विगत पांच वर्षों से छत्तीसगढ़ राज्य सीमा में प्रशिक्षण कार्य किया जा रहा हो.

2. प्रशिक्षक की कम से कम पांच एवं अधिक से अधिक दस वर्षों की उपलब्धियों का आंकलन किया जाएगा.

3. व्यक्तिगत खेलों के संदर्भ में प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षित, राज्य के खिलाड़ियों ने विगत दस वर्षों की अवधि में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेलों में पांच पदक प्राप्त किया हो.

या

प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षित, राज्य के कम से कम तीन खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो.

व्याख्या- उपरोक्त उपलब्धियों में सीनियर एवं जूनियर दोनों वर्गों की उपलब्धियां सम्मिलित की जाएंगी.

- पांच पदकों की गणना में कम से कम एक पदक सीनियर वर्ग में होना चाहिए.
- स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक को इस नियम के अंतर्गत पदक माना जाएगा.
- पांच पदकों की उपलब्धियां कम से कम तीन पृथक-पृथक खिलाड़ियों द्वारा या कम से कम तीन पृथक-पृथक वर्षों में प्राप्त की गई हो. (दलीय खेलों के संदर्भ में यह बिंदु लागू नहीं होगा).

4. दलीय खेलों के संदर्भ में विगत दस वर्षों की अवधि में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेलों में पांच पृथक-पृथक बार पदक जीतने वाले दलों में प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक दल में कम से 40 प्रतिशत हो.

या

प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षित, कम से कम सात खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो.

(व्याख्या- नियम 6.3, ब-3 की व्याख्या के अनुसार)

5. राज्य के ऐसे प्रशिक्षक जिनके द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों की उपलब्धि पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त हुई हैं, वे भी इस पुरस्कार के लिए पात्र होंगे. यदि उनके द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों का चयन संबंधित खेल के मध्यप्रदेश राज्य संघ की संलग्नता प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा में कार्यरत इकाई के माध्यम से हुआ है.

6. राज्य के ऐसे प्रशिक्षक जिन्हें मध्यप्रदेश शासन द्वारा विश्वामित्र पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है वे इस पुरस्कार के लिए तभी पात्र होंगे जब छत्तीसगढ़ की ओर से खेलते हुए उसके द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने उपरोक्तानुसार उपलब्धियां प्राप्त की हों तथा प्रशिक्षक ने छत्तीसगढ़ की ओर से खेलने वाले खिलाड़ियों को विगत पांच वर्षों में निरंतर प्रशिक्षण प्रदान किया हो.

7. ऐसे प्रशिक्षक जो उपलब्धि वर्ष एवं पुरस्कार वर्ष में संबंधित राज्य खेल संघ के पदाधिकारी (अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष) रहें हो वे इस पुरस्कार के पात्र नहीं होंगे. यह कंडिका उन प्रशिक्षकों पर लागू नहीं होगी जिन प्रशिक्षकों को राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा भारतीय दल का प्रशिक्षक नियुक्त/मनोनीत किया गया हो तथा प्रशिक्षक द्वारा भारतीय दल को प्रशिक्षित करने के पश्चात् संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय दल के साथ भाग लिया हो.

(ब) निर्णायकों के लिए निम्नलिखित नियम होंगे-

1. राज्य के निर्णायक द्वारा कम से कम विगत पांच वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में निर्णयन कार्य किया जा रहा हो.

2. निर्णायक की कम से कम पांच एवं अधिक से अधिक दस वर्षों की उपलब्धियों का आंकलन किया जाएगा.

3. उसने राष्ट्रीय महासंघ या आयोजन समिति या संबंधित अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा निर्णयन कार्य हेतु आमंत्रित किए जाने पर तीन पृथक-पृथक अवसरों में विदेशों में आयोजित, एक ही खेल की, तीन पृथक-पृथक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं, जिसमें कम से कम एक प्रतियोगिता सीनियर वर्ग की हो, में निर्णयन कार्य सम्पन्न किया हो.

6.4 **खेल विभूति सम्मान**

(अ) यह खिलाड़ी या प्रशिक्षक को दिया जाएगा.

(ब) संबंधित की उम्र 55 वर्ष या अधिक हो.

(स) वह निरंतर खेल के क्षेत्र में खिलाड़ी के रूप में या प्रशिक्षण कार्य में संलग्न रहा हो.

(द) उसे खेल के क्षेत्र में पूर्व में विभाग द्वारा कोई पुरस्कार नहीं दिया गया हो.

(इ) संबंधित ने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया हो या राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया हो या संबंधित ने ऐसी कोई उल्लेखनीय सेवा खेल के क्षेत्र में की हो, जिसके आधार पर उन्हें सम्मानित किए जाने हेतु विचार किया जाए.

6.5 उपरोक्त पुरस्कारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक/भागीदारी के आधार पर दावेदारी तभी प्रस्तुत की जा सकेगी जब संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु संबंधित का यात्रा व्यय केन्द्र सरकार/प्रतियोगिता के आयोजक/संबंधित राष्ट्रीय या राज्य खेल संघ द्वारा वहन किया गया हो. स्वयं के यात्रा व्यय या राज्य शासन के कोष से किसी भी प्रकार से यात्रा व्यय हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करके अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी/प्रशिक्षक/निर्णायक इन पुरस्कारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक/भागीदारी को आधार बनाकर पात्र नहीं हो सकेंगे.

7. **प्राथमिकता क्रम—**

पुरस्कारों के निर्णयन हेतु जहां आवश्यक हो निम्नांकित प्राथमिकता क्रम होगा.

7.1 क्रमशः ओलम्पिक, विश्व चैम्पियनशिप/विश्वकप, एशियाड, राष्ट्रमण्डल खेलों में स्वर्ण/रजत/कांस्य पदक भागीदारी.

7.2 व्यक्तिगत खेलों में अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण/रजत/कांस्य पदक.

7.3 व्यक्तिगत खेलों में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक.

7.4 व्यक्तिगत खेलों में अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक भागीदारी.

7.5 दलीय खेलों में अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक/भागीदारी.

7.6. दलीय खेलों में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक.

7.7 व्यक्तिगत खेलों में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में रजत पदक.

7.8 दलीय खेलों में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में रजत पदक.

7.9 व्यक्तिगत खेलों में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में कांस्य पदक.

7.10 दलीय खेलों में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में कांस्य पदक.

7.11 व्यक्तिगत एवं दलीय खेल के लिए राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में प्राप्त पदक हेतु उपरोक्त में जो क्रम निर्धारित है, उसी क्रम से राष्ट्रीय खेलों में प्राप्त पदक.

8. **विचार क्षेत्र—**

8.1 पुरस्कार हेतु वर्ष की गणना 01 अप्रैल से 31 मार्च होगी.

8.2 यदि चयन समिति की राय में किसी विशेष वर्ष में किसी पुरस्कार विशेष को पाने योग्य प्रदर्शन नहीं होता है तो उस वर्ष पुरस्कारों के लिए निर्धारित संख्या को शून्य की सीमा तक कम किया जा सकता है.

8.3 किसी एक खेल में कोई पुरस्कार विशेष किसी खिलाड़ी/प्रशिक्षक/निर्णायक को उसके जीवनकाल में केवल एक बार दिया जाएगा. दलीय खेल के मामले में एक दल को पुरस्कार मिलने के पश्चात् उस दल की कुल खिलाड़ी संख्या के आधे खिलाड़ी बदलने के पश्चात्, पात्रता होने पर संबंधित दल को पुरस्कार हेतु पुनः विचार में लिया जा सकेगा.

8.4 यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जा सकता है, इस स्थिति में नगद राशि, मानपत्र, अलंकरण फलक सम्मानित खिलाड़ी/प्रशिक्षक/निर्णायक के कानूनी उत्तराधिकारी को दिया जाएगा.

8.5 पुरस्कार हेतु उपलब्धि वर्ष या उसके अगले वर्ष में अगर किसी खिलाड़ी प्रशिक्षक/निर्णायक को उसके खेल से संबंधित मान्यता प्राप्त राज्य या राष्ट्रीय संघ द्वारा राज्य या राष्ट्रीय चैम्पियनशिप से निष्कासित किया गया हो या उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई हो तो उसे संबंधित वर्ष के लिए पुरस्कार प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी.

9. **पुरस्कार अलंकरण तिथि एवं स्थान—**

यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष खेल दिवस 29 अगस्त को शासन द्वारा निर्धारित स्थान पर आयोजित अलंकरण समारोह में पुरस्कारग्राहियों को प्रदान किए जाएंगे. पुरस्कार अलंकरण तिथि में परिस्थितिवश परिवर्तन किया जा सकता है.

10. **आवेदन की प्रक्रिया—**

10.1 खेल संघ प्रतिवर्ष के लिए वर्ष की समाप्ति पश्चात् 30 जून तक निर्धारित प्रारुप में खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों/निर्णायकों के नाम की अनुशंसा संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण में प्रस्तुत करेंगे. निर्धारित प्रारुप परिशिष्ट अ, ब, स में संलग्न हैं, अनुशंसा पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि में परिस्थितिवश परिवर्तन किया जा सकता है.

10.2 नियमों के राजपत्र में प्रकाशन के बाद यह माना जाएगा कि अनुशंसा पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्रत्येक वर्ष के लिए तिथि निश्चित की जाकर सर्वसाधारण को सूचित किया चुका है तथापि अंतिम तिथि की सूचना हेतु प्रतिवर्ष बिना उत्तरदायित्व के समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी तथा संचालनालय में पंजीकृत राज्य खेल संघो को ज्ञापन द्वारा सूचित किया जाएगा.

10.3 संबंधित खेल संघ खिलाड़ियों के लिए घोषित प्रत्येक पुरस्कारों हेतु वरीयता क्रम में अधिकतम तीन नाम तथा प्रशिक्षिकों/निर्णायकों के लिए घोषित पुरस्कार हेतु प्रशिक्षक के लिए एक तथा निर्णायक हेतु एक इस प्रकार अधिकतम दो नाम उनके व्यक्तिगत विवरण एवं उपलब्धियों के साथ अग्रेषित कर सकेंगे.

10.4 पुरस्कार हेतु अग्रेषित किए गए खिलाड़ियों/निर्णायकों/प्रशिक्षकों के नामों की सूचना, राज्य खेल संघ उनसे संलग्न सभी इकाइयों एवं संबंधित खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों/निर्णायकों को यथा समय सूचित करेंगे या सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करेंगे ताकि उस खेल से संबंधितों को यथा समय उक्त जानकारी प्राप्त हो सके.

10.5 यदि किसी भी स्तर पर यह अनुभव किया जाए कि खेल संघ द्वारा अग्रेषित किए गए नाम के खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों/निर्णायक से किसी अन्य खिलाड़ी/प्रशिक्षक/निर्णायक के पास तुलनात्मक रूप से अधिक उपलब्धियां है तो तत्संबंधी विवरण लेख करते हुए निर्धारित प्रारुप में उसका व्यक्तिगत विवरण आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के 7 दिवस पश्चात् तक संचालनालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा. संचालनालय को ऐसे आवेदन विचारार्थ स्वीकार करने का अधिकार होगा.

10.6 यदि कोई अनुशंसा पत्र निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होता है, तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही उसे अगले वर्ष के लिए अग्रेषित किया जाएगा. इसी प्रकार निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त न होने, अपूर्ण होने की स्थिति में भी उस पर विचार नहीं किया जाएगा.

11. **अनुशंसा पत्रों पर विचार की प्रक्रिया—**

11.1 निर्धारित प्रपत्र में सभी प्रकार से पूर्ण, अनुशंसा पत्र प्राप्त होने के पश्चात् आवश्यकतानुसार उन्हें राज्य/राष्ट्रीय खेल संघ से प्रमाणीकरण कराया जाएगा. यदि संबंधित खेल संघ निर्धारित समय तक प्रमाणीकरण नहीं करते हैं तो विभाग स्वयं निर्णय लेने में सक्षम होगा.

11.2 प्रथम दृष्टि में उपयुक्त प्रतीत होते हुए भी, संबंधित खिलाड़ी/प्रशिक्षक/निर्णायक की उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए संबंधित की खेल उपलब्धियों की आगे जांच पड़ताल और खोजबीन करने का अधिकार विभाग अपने पास रखता है.

11.3 पुरस्कार हेतु उपयुक्त व्यक्ति का चयन करने के लिए विभाग एक समिति का गठन करेगा जो पुरस्कार देने के लिए अंतिम निर्णय लेगी.

11.4 समिति विचारार्थ ग्राह्य सभी आवेदनों पर विचार करके पुरस्कार हेतु व्यक्ति का चयन करेगी. इस समिति का निर्णय अंतिम और सभी पर बाध्यकारी होगा तथा इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है.

पुरस्कार का विलोपन और रद्द करना—

12.1 यह पुरस्कार उस स्थिति में रद्द किया जा सकता है जिसमें यह पाया जाए कि यह धोखाधड़ी या मिथ्या निरूपण से प्राप्त किया गया है अथवा इसको विलोपित करने या वापिस लेने के लिए पर्याप्त वैध कारण मौजूद हैं. यह निर्णय उपर्युक्त कंडिका 11.3 में गठित समिति द्वारा किया जाएगा.

12.2 पुरस्कार का विलोपन करने/रद्द करने, वापस लेने की स्थिति में एक साधारण अधिसूचना विभाग द्वारा उचित रूप से निकाली जाएगी और यह पर्याप्त होगी. यद्यपि पुरस्कार के एक भाग के रूप में दी गई नगद राशि, पुरस्कारग्राही या उसके उत्तराधिकारी से न तो वापिस मांगी जाएगी और न ही वापिस करने के लिए उन्हें बाध्य किया जाएगा.

12.3 यह विलोपन/रद्द वापसी को किसी भी न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है. शासन का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा.

13. सामान्य नियम—

13.1 पुरस्कार हेतु प्रविष्टि के संबंध में किसी प्रकार के पक्ष प्रचार से प्रविष्टि को अयोग्य माना जाएगा.

13.2 ऐसा माना जाएगा कि जिस खिलाड़ी प्रशिक्षक के नाम का अनुशंसा पत्र उसके स्वयं के द्वारा या अन्य किसी स्रोत से पुरस्कार हेतु प्राप्त हुआ है, उस खिलाड़ी/प्रशिक्षक/निर्णायक ने इन सभी नियमों को स्वीकार कर लिया है.

13.3 इन पुरस्कारों के लिए वही खिलाड़ी, प्रशिक्षक, निर्णायक पात्र माने जाएंगे जो कंडिका 6 में उल्लेखित पात्रता को पूर्ण करते हुए निम्नांकित शर्तों की पूर्ति करते हो :—

(अ) छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी है

या

(ब) उपलब्धि वर्ष एवं पुरस्कार वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य की किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में नियमित अध्ययनरत है.

या

(स) उपलब्धि वर्ष एवं पुरस्कार वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य की शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम में निरंतर कार्यरत है.

14. व्याख्या/संशोधन—

14.1 इन नियमों में अंतरनिहित प्रावधानों के संबंध में प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा की गई व्याख्या पर अंतिम मानी जाएगी.

14.2 विभाग इन नियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन/शिथिलीकरण करने हेतु सक्षम होगा.

15. निरसन—

इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में, एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं. परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जाएगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सारूब खेस, अवर सचिव

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जून 2009

क्रमांक 523/422/2009/13/1.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अनिल कुमार टुटेजा, निदेशक, संयुक्त उपक्रम कंपनी क्रेडा-एचपीसीएल बायोफ्यूल लिमिटेड तथा आईओसीएल-क्रेडा बायोफ्यूल लिमिटेड का ऊर्जा विभाग से अन्यत्र स्थानान्तरण होने के फलस्वरूप उनके स्थान पर श्री देवाशीष दास, विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग को संयुक्त उपक्रम कंपनी में निदेशक के पद पर नामित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जून 2009

क्रमांक एफ 1-6/2008/19/स्था-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा लोक निर्माण विभाग के (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम-2007 के नियम 6 (1) (ख) में सीमित प्रतियोगी परीक्षा से, कार्यभारित सेवा के कर्मचारियों द्वारा नियुक्ति का प्रावधान है.

विशेष उपबंध

उक्त नियम में :—

राज्य शासन एतद्द्वारा कार्यभारित स्थापना के डिप्लोमा/डिग्रीधारी स्थल सहायकों, अनुरेखक, सहायक मानचित्रकार, समयपाल, प्रयोगशाला सहायक, मेकेनिक, फिटर, इलेक्ट्रीशियन आदि तकनीकी पदों के कर्मचारियों को उप अभियंता के 05 प्रतिशत पदों पर सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति हेतु केवल एक बार के लिये स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. दीक्षित, उप-सचिव.

खेल एवं युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2008

विषय : खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों/निर्णायकों को पुरस्कार नियम 2004 में संशोधन एवं परिवर्धन प्रस्ताव.

क्रमांक/एफ/10-3/2003/खे.यु.क./09.—खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा समसंख्यक क्रमांक, दिनांक 19 सितम्बर 2003 को जारी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, निर्णायकों को पुरस्कार नियम 2004 में समसंख्यक क्रमांक से दिनांक 18 जुलाई 2006 एवं 6 अगस्त 2007 से संशोधन एवं परिवर्धन किया गया है. उक्त नियम समसंख्यक क्रमांक से निम्नानुसार संशोधन एवं परिवर्धन किया जाता है

1. नियम 1 में उपनियम "1.5 शहीद पंकज विक्रम सम्मान" जोड़ा जाए.

2. नियम 4 में उपनियम 4.5 निम्नानुसार जोड़ा जाए.

4.5 शहीद पंकज विक्रम सम्मान—

राज्य के सीनियर वर्ग के खिलाड़ी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया है, उन्हें खेल के क्षेत्र में राज्य को दी गई उत्कृष्ट खेल सेवा के लिए प्रोत्साहित करना ताकि वे और उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राज्य का गौरव बढ़ाए है तथा राज्य के अन्य खिलाड़ी उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सके.

3. नियम 5 के उपनियम 5.1-स को निम्नांकित पढ़ा जाए.

5.1 (स) पुरस्कार में प्रत्येक खिलाड़ी अथवा दल अथवा दल के सदस्य को राशि दो लाख, पच्चीस हजार नगद. मानपत्र, अलंकरण फलक, ब्लेजर एवं टाई से अलंकृत किया जाएगा.

4. नियम 5 के उपनियम 5.2 (स) को निम्नांकित पढ़ा जाए.

5.2 (स) पुरस्कार में प्रत्येक खिलाड़ी अथवा दल अथवा दल के सदस्य को राशि एक लाख, नगद, मानपत्र, अलंकरण फलक, ब्लेजर एवं टाई से अलंकृत किया जाएगा.

5. नियम 5 के उपनियम 5.2 के नीचे उल्लेखित टिप्पणी के आगे निम्नांकित पढ़ा जाए.

दलीय खेल के मामले में पुरस्कार का निर्णय करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागीदारी करने वाला उसी खेल विधा का कोई खिलाड़ी पुरस्कार प्राप्ति से वंचित न हो.

स्पष्टीकरण :—

अ. यदि एक दल को राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पदक प्राप्त हुआ हो तथा पदक प्राप्त दल के ही एक या एक से अधिक खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी भाग लिया हो, तो पुरस्कार का निर्णय करते समय राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पदक के आधार पर दल के सभी खिलाड़ियों को (जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिए हुए खिलाड़ी भी सम्मिलित हैं) पुरस्कार देने हेतु विचार किया जाएगा.

ब. यदि राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पदक के आधार पर निर्णय लेने के कारण यदि पुरस्कार चयन में किसी दलीय खेल का प्रावीण्य क्रम, पुरस्कार की निर्धारित संख्या (पांच) के बाद आता है, तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागीदारी के आधार पर निर्णय लेने के कारण चयन में उसका प्रावीण्य क्रम पुरस्कार की निर्धारित संख्या (पांच) के अंदर आता है तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागीदारी के आधार पर पुरस्कार का निर्णय किया जाएगा.

स. यदि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक के आधार पर किसी दलीय खेल में पूरे दल को पुरस्कार दिया जा सकता हो, तथा उस खेल में कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं, जो पदक जीतने वाले दल के सदस्य नहीं रहे हो, लेकिन उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के कारण पुरस्कार प्राप्त करने की पात्रता प्राप्त की हो, तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जितने वाले दल के सदस्यों एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिए हुए खिलाड़ियों को सम्मिलित कर एक दल के रूप में इन्हें पुरस्कार देने हेतु इनके नाम पर विचार किया जाएगा.

द. दलीय खेल के लिए यदि किसी दल को किसी पुरस्कार के लिए अंतिम रूप से चयन कर लिया गया हो तथा उस दल के कुछ खिलाड़ियों को पहले वही पुरस्कार मिल चुका हो तो इस स्थिति में पुरस्कार की राशि दल की कुल सदस्य संख्या से विभाजित कर प्रत्येक खिलाड़ी के लिए निर्धारित की जाएगी तथा सिर्फ उन खिलाड़ियों को प्रदान की जाएगी, जिन्हें पहले पुरस्कार नहीं मिला है.

यह माना जाएगा कि जिन खिलाड़ियों को पहले पुरस्कार मिल चुका है, उन्हें पुरस्कार राशि तथा अलंकरण की अन्य वस्तुएं पुरस्कार के साथ पूर्व में प्रदान की जा चुकी है तथा इन खिलाड़ियों के नाम भी पुरस्कार प्राप्त दल के सदस्यों के रूप में घोषित नहीं किए जाएंगे.

6. नियम 5 के उपनियम 5.4 अ को संशोधित कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए.

(अ) प्रत्येक वर्ष पात्रता रखने वाले पांच खेल विभूतियों को प्रदान किया जाएगा.

नियम [illegible] में उपनियम [illegible] निम्नानुसार जोड़ा जाए.

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] खेलों के खिलाड़ियों को शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार या शहीद कौशल यादव पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, उन खेलों को छोड़कर पुरस्कार के लिए विचार क्षेत्र में आने वाले अन्य खेलों में पात्रता रखने पर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे.

(ब) पुरस्कार के लिए विचार क्षेत्र में उन खेलों को सम्मिलित किया जाएगा जिनके राज्य स्तरीय संघ ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग से मान्यता प्राप्त की है.

(स) एक वर्ष में एक खेल में एक पुरस्कार दिए जाएंगे जिसमें से एक सीनियर वर्ग पुरुष या एक सीनियर वर्ग महिला के लिए होगा.

(द) पुरस्कार में प्रत्येक खिलाड़ी को राशि रुपए पच्चीस हजार, मानपत्र, फलक, ब्लेजर एवं टाई से अलंकृत किया जाएगा.

(इ) उपनियम 5.5 एवं 5.6 में उल्लेखित सुविधाएं सम्मानग्राहियों को प्राप्त होगी.

8. नियम 6 में उपनियम 6.4 द को निम्नानुसार पढ़ा जाए.

द. उसे खेल के क्षेत्र में पूर्व में विभाग द्वारा गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव सम्मान, शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार, शहीद कौशल यादव पुरस्कार, शहीद पंकज विक्रम सम्मान, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार से अंलकृत नहीं किया गया हो.

9. नियम 6 में उपनियम 6.6 में निम्नानुसार जोड़ा जाए.

6.6 शहीद पंकज विक्रम सम्मान—

(अ) इस सम्मान हेतु उस खिलाड़ी के नाम पर विचार किया जाएगा, जिसके नाम को अनुशंसा खिलाड़ी के खेल से संबंधित राज्य खेल संघ द्वारा इस सम्मान के लिए की गई हो. इस सम्मान के लिए खिलाड़ियों से, पृथक से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

(ब) राज्य खेल संघ इस सम्मान हेतु उस खिलाड़ी के नाम की अनुशंसा करेंगे जो उनकी दृष्टि में राज्य का सीनियर वर्ग का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है तथा जिसे पूर्व में गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान तथा इन पुरस्कार नियमों में उल्लेखित कोई अन्य पुरस्कार नहीं मिला है ऐसे खिलाड़ी जिन्हें पूर्व में उपरोक्त पुरस्कार मिल चुके हों उन्हें शहीद पंकज विक्रम सम्मान प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी.

(स) राज्य खेल संघ ऐसे खिलाड़ियों के नाम की अनुशंसा कर सकेंगे, जो इन पुरस्कार नियमों में उल्लेखित शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार के लिए पात्रता की शर्तों को पूर्ण करते हों या जिस खिलाड़ी ने पुरस्कार वर्ष को सम्मिलित करते हुए विगत पांच वर्षों में लगातार सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में छत्तीसगढ़ की ओर से भाग लिया हो.

टिप्पणी — ऐसे खेल जिसमें राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के नाम से आयोजन का प्रावधान नहीं है उन खेलों में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के समकक्ष प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी की अनुशंसा की जा सकेगी.

(द) खिलाड़ी के नाम के अनुशंसा पत्र में हस्ताक्षर करने हेतु खेल संघ के वे पदाधिकारी अधिकृत होंगे जिनके नाम पंजीयक फर्म एवं सोसाइटी द्वारा अभिप्रमाणित किए गए हो. इस हेतु फर्म हेतु सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 27 की तहत पंजीयक को विगत वर्ष या वर्तमान वर्ष में प्रस्तुत जानकारी की अभिप्रमाणित प्रति राज्य संघ को प्रस्तुत करनी होगी.

(इ) इस सम्मान हेतु खिलाड़ियों के नाम पर विचार करते समय निर्धारित पात्रता की शर्तों को राज्य खेल संघ द्वारा शिथिल नहीं किया जा सकेगा यदि राज्य खेल संघ द्वारा पात्रता की शर्तों को शिथिल कर अनुशंसा प्रेषित की गई हो तथा इसी कारण संबंधित खेल का खिलाड़ी यदि पुरस्कार से वंचित होता है तो इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित राज्य खेल संघ का होगा.

(फ) राज्य खेल संघ इस सम्मान हेतु पुरुष वर्ग के लिए अधिकतम दो तथा महिला वर्ग के लिए अधिकतम दो इस प्रकार सिर्फ अधिकतम चार अनुशंसाएं ही प्रेषित कर सकेंगे राज्य खेल संघ से निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में अनुशंसा प्राप्त होने पर उस वर्ग की सभी अनुशंसाओं पर विचार नहीं किया जाएगा तथा इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित राज्य खेल संघ पर होगा.

(ज) राज्य खेल संघ खिलाड़ियों के नामों की अनुशंसा करने के लिए चयन हेतु एक समिति का गठन करेंगे जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर राज्य खेल संघ अनुशंसा अग्रेषित करेंगे.

(ह) पुरस्कार हेतु अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राज्य शासन द्वारा गठित राज्य स्तरीय पुरस्कार निर्णयन समिति को होगा.

10. परिशिष्ट-अ, ब, स एवं द संशोधित कर पृथक से संलग्न है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, उप-सचिव.

परिशिष्ट-अ

दिनांक .....

क्रमांक ....

प्रति,

संचालक
खेल एवं युवा कल्याण
छत्तीसगढ़, रायपुर.

विषय : खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, निर्णायकों को पुरस्कार हेतु अनुशंसा.

महोदय,

खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं निर्णायकों हेतु शासन द्वारा घोषित शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, शहीद कौशल यादव पुरस्कार, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार, शहीद पंकज विक्रम सम्मान हेतु अनुशंसाएं प्रस्तुत हैं.

(1) खेल का नाम

(2) पुरस्कार एवं सम्मान

(अ) शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार हेतु अनुशंसाएं वरीयता क्रम में

नाम एवं पूर्ण पता 1. .....

2. .....

3. .....